



न्यायालय में, श्रीमान राजस्व परिषद म्वालियर म०प्र०

43



क्र. 237
10-8-15 लखन उर्फ पल्टू बैगा पिता सहबल बैगा
निवासी ग्राम गोरतरा तहसील सोहागपुर

दिनांक 28/8/15

श्री ... द्वारा प्रस्तुत
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
जिला शहडोल म०प्र०

..... पुनरीक्षणकर्ता

शहडोल संभाग
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
शहडोल संभाग

बनाम

- प्रेम सिंह पिता सुंदर सिंह माता बगिया बाई
निवासी मडवा टोला तहसील पाली जिला उमरिया म०प्र०
- सुनील उर्फ गुडडू खरे पिता शिव कुमार खरे
निवासी किरन टाकीज कें पीछे शहडोल तहसील
सोहागपुर जिला शहडोल म०प्र०
- इतवरिया बाई पिता भूरा सिंह गोड
निवासी मडवा टोला तहसील पाली जिला उमरिया म०प्र०
- शोभेलाल पिता अधारी सिंह गोड निवासी बडवाही
तहसील पाली जिला उमरिया म०प्र०
- वीरन सिंह पिता अधारीसिंह गोड
निवासी ग्राम बडवाही तहसील पाली

क्रमांक 663- जिला उमरिया म०प्र०

..... गैरपुनरीक्षणकर्तागण

राजस्व मण्डल म्वालियर

पुनरीक्षण विरुद्ध न्यायालय श्रीमान कलेक्टर
उमरिया के राजस्व प्रकरण क्रमांक
4/अ-74/14-15 शीर्षक लखन लाल उर्फ
पल्टू बैगा विरुद्ध प्रेम सिंह वगैरह में पारित
आदेश दिनांक 10/6/15

राजस्व मण्डल म्वालियर

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है -

मामले के संक्षिप्त तथ्य

निगराकार बैगा आदिवासी जनजाति का सदस्य है तथा उसने


निगराकार बैगा आदिवासी जनजाति का सदस्य है तथा उसने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० नि०2887-तीन/15

जिला-उमरिया

लखन उर्फ पल्लू/ प्रेम सिंह वगैरः

(1)	(2)	(3)
17.01.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M